राजस्व अपील संख्या 532/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जयसिंह पुत्र स्व0 कानसिंह राजपूत निवासी– खारडी तहसील मारवाड जंक्शन पाली।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मा0 जंक्शन पाली 2. गोविन्दसिंह पुत्र धनसिंह के का0 मुकाम– 2.1 मूलसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 2.2 कल्याणकंवर पत्नी गोविन्द सिंह निवासी– खारडी तहसील मा0 जंक्शन जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 16.06.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, मा0 जंक्शन के द्वारा प्रकरण संख्या 156/2018 अनवान जयसिंह बनाम राज्य में रिव्यू प्रार्थना पत्र में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 16 जनवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 2 गोविन्द सिंह की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह तथ्य अंकित किये कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम खारडी के पुराने ख0सं0 287 रकबा 39.25 बीघा भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के पूर्व व दौरान दर्ज थी जिसका हैक्टर परिवर्तन करने पर 39.25 बीघा भूमि का 6.3535 हैक्टर बनता है। उक्त भूमि के 3 नये खसरे बने जिसमें ख0सं0 740 रकबा 11 बीघा, ख0सं0 747 रकबा 11.70 बीघा एवं ख0सं0 748 रकबा 0.30 बीघा कुल 5.8161 हैक्टर बने। इस प्रकार प्रथम सेटलमेन्ट के समय रकबा 6.3535 हैक्टर की बजाय द्वितीय सेटलमेन्ट के समय 5.7412 हैक्टर ही दर्ज किया गया तथा शेष 0.0759 हैक्टर रकबा सिवायचक दर्ज कर दिया गया और प्रार्थीगण की खातेदारी में 00.6123 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी गई। जबकि सेटलमेन्ट विभाग को ऐसा करने का अधिकार नहीं था और न ही किसी सरकारी विभाग द्वारा खातेदारी भूमि में से किसी प्रकार की अधिग्रहण की कार्यवाही की गई, ऐसे में बगैर अधिग्रहण की कार्यवाही या बिना किसी विधिक तथ्य घटित हुए रकबा भूमि को कम दर्ज कर दिया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ख0सं0 748 की भूमि गैर मुमकीन श्मशान से सिवायचक भूमि दर्ज कर ली गई जबकि पूर्व में इसका ख0सं0 287 था जो हमारी पुश्तैनी भूमि थी। उक्त भूमि में से किसी प्रकार से भूमि का न तो हस्तान्तरण किया गया और न ही भूमि अधिग्रहित की गई थी, जो सेटलमेन्ट विभाग की गलत के कारण उनकी खातेदारी में कम दर्ज कर दी गई। ऐसे में वर्तमान

संभागीय आयुक्त

की बजाय प्रार्थीगण की खातेदारी में शमशान होना दर्ज किया जाने हेतु निवेदन किया गया साथ ही उक्त भूल सुधार के बाद कम रकबा भूमि को गत नक्शा अनुसार नवीन नक्शे को तुलनात्मक मिलान करते हुए जिस तरफ रकबे में विधि विरूद्ध तरीके से कम दर्ज कियाहै उसे पुनः बढाया जावे व राजस्व रेकार्ड नक्शा व अधिकार अभिलेख दुरूस्त करते हुए प्रथम सेटलमेन्ट अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में दुरूस्ती के आदेश प्रदान करें। उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। तहसीलदार मा0 जंक्शन की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 11.10.2021 को पत्रावली राजस्व अभियान कैम्प जाडन में रखी जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 748 मौजा खारडी में 0.759 हैक्टर भूमि सरकारी शमशान के बजाये प्रार्थी जयसिंह निवासी–खारडी की खातेदारी में शमशान दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया।

इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ना0 तहसीलदार मा0 जंक्शन के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2021 में संशोधन करने बाबत अन्तर्गत धारा 114 सीपीसी का पेश कर तहसीलदार मा0 जंक्शन की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब के अनुसार पारित आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए उचित आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पत्रावली को दिनांक 16.6.2022 को सुनवाई में ली जाकर सरकारी पैरोकार के निवेदन अनुसार पारित आदेश को रिव्यू करते हुए आदेश निरस्त कर तहसीलदार मा0 जंक्शन को निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त आराजी को पुनः राजस्व रेकर्ड में शमशान भूमि खाता संख्या 1 में दर्ज करें। तथा अपीलान्ट/प्रार्थी को इस सम्बन्ध में राज0 काश्तकारी अधिनियम की सुसंगत धारा में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.6.2022 को रिव्यू प्रार्थना पत्र में आदेश करने से पूर्व अपीलार्थी को रिव्यू प्रार्थना पत्र की सुनवाई का कोई नोटिस तक नहीं दिया जबकि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में बिना सुने उसके विरूद्ध ऐसा कोई आदेश पारित किया ही नहीं जा सकता था, ऐसे में अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जिन परिस्थितियों में रिव्यू करने की शक्तिया प्रयोग में लाई जा सकती है वे परिस्थितिया वर्तमान मामले में विधमान नहीं थी और रिव्यू के जरिये मामलें का गुणावगुण पर पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने कानून में रिव्यू सम्बन्धी प्रावधानों का बिल्कुल गलत अर्थ निकाल कर प्रकिया की पालना किये बिना फेसला करते हुए

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

स्वयं द्वारा पूर्व पारित निर्णय को मनमाने ढंग से बदल दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 जो दोनों पक्षों की सुनवाई व तहसीलदार द्वारा जवाब व राजस्व रेकर्ड के बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर पूरी छानबीन के बाद गुणावगुण पर विचार करने के बाद पारित किया था। जिसमें कोई त्रुटि नहीं थी जिसे रिव्यु के जरिये दुरूस्त किया जाना आवश्यक था। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट था कि ग्राम खारडी के ख0सं0 287 का रकबा 39.25 बीघा था अर्थात रकबा 6.3535 हैक्टर था जबकि हाल ही भू प्रबन्ध में उक्त रकबा 5.7412 हैक्टर दर्ज किया एवं 0.6123 हैक्टर रकबा बिना किसी कारण के कम दर्ज कर दिया गया और रकबा 0.0759 हैक्टर भूमि सरकारी शमशान में दर्ज कर दी गई जिसे भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था और उक्त त्रुटि को धारा 136 राज0भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश पारित करते हुए ही उपखण्ड अधिकारी ने दुरूस्त किया था, और उन्हीं के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.6.21 को आदेश पारित करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 11.10.21 को निरस्त कर दिया जो उचित नहीं था।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं तहसीलदार की ओर से अपीलान्ट के धारा 136 के प्रार्थना पत्र के साथ जो रेकार्ड रिपोर्ट पेश की थी उसी आधार पर पूर्व में आदेश पारित किया था, बाद में उस रिपोर्ट के विपरित सरकारी पैरोकार का कोई कथन मानने योग्य नहीं था और न ही प्रकरण रिव्यू किये जाने योग्य था, इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी स्वयं के द्वारा अपने पूर्व के पारित आदेश को रिव्यू करने का क्षेत्राधिकार मानते हुए आदेश पारित कर दिया जो अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उनके द्वारा इस मामले में जिस तरह से कार्यवाही सम्पादित की गई वह न्याय संगत नहीं कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में दिनांक 20.8.21 के पश्चात कोई आज्ञा सूची संधारित नहीं की गई जबकि पूर्व का निर्णय दिनांक 11.10.21 का था जिसे दिनांक 16.6.2022 के द्वारा अपास्त कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने खुद के पारित निर्णय को आठ माह पश्चात स्वयं के द्वारा ही रिव्यू करते हुए पूर्व के निर्णय को निरस्त कर दिया जबकि राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 86 में रिव्यू करने का यह प्रावधान है कि लिपिकिय त्रुटि अथवा रेकार्ड विपरित तथ्य अंकित करने पर रिव्यू किया जा सकता है। पत्रावली में रिव्यू आदेश में उपखण्ड अधिकारी द्वारा रिव्यू करवाने बाबत सरकारी पैरोकार के निवेदन का हवाला दिया है जबकि पत्रावली पर सरकारी पैरोकार का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध ही नहीं है एवं न ही अपीलार्थी को ऐसे प्रार्थना पत्र की नकल उपलब्ध करवाई गई, तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में सम्पादित करते हुए मनमाने ढंग से फेसला कर दिया गया जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2022 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

ओर से अपीलान्ट के धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का राजस्व रेकर्ड के अनुसार ही पैरावाईज जवाब पेश किया गया तथा ग्राम खारडी के ख0सं0 287 का रकबा 39.25 बीघा अर्थात रकबा 6.3535 हैक्टर होने तत्पश्चात भू प्रबन्ध कार्यवाही में अलग–अलग खसरान रकबा भूमि दर्ज होने यानि ख0सं0 747, 740 व 748 बन जाने एवं उक्त खसरान में कुल रकबा 5.7412 हैक्टर दर्ज हुआ तथा रकबा 0.0759 हैक्टर भूमि सरकारी शमशान में दर्ज हुई। शेष रकबा 0.5374 हैक्टर भूमि कहां गई व किस नये खसरा नम्बर में दर्ज हुई, उक्त विवरण संलग्न पत्रावली से तस्दीक किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त रद्दोबदल वक्त द्वितीय सेटलमेन्ट में हुए है। ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उल्लेखित रिपोर्ट में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने/अस्वीकार करने का कोई निवेदन अंकित नहीं किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत जबाब में द्वितीय सेटलमेन्ट में प्रार्थीगण के रकबा भूमि कम दर्ज होना स्वीकार किया, के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सरकारी शमशान भूमि को प्रार्थी की खातेदारी शमशान भूमि दर्ज करने का दिनांक 11.10.2021 को आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर सरकारी पैरोकार ना0 तहसीलदार को होने पर उनके द्वारा धारा 144 सीपीसी बाबत न्यायालय आदेश दिनांक 11.10.201 में संशोधन करने का निवेदन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के जवाब में वर्णित तथ्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है जिसे पुनर्विलोकन कर आदेश पारित करावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत जवाब को पुनः अवलोकन करने के उपरान्त रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 को रिव्यू करते हुए निरस्त कर दिया गया है जो पूर्ण रूप से उचित है एवं यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 11.10.2021 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 16.06.2021 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मूल आदेश दिनांक 11.10.2021 को पारित किया गया, तत्पश्चात दिनांक 16.06.2022 को उक्त आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए मात्र राजकीय पैरोकार के द्वारा संज्ञान में लाये जाने का हवाला देकर बिना वादी को नोटिस जारी किये, बिना सुनवाई किये पुनः आदेश पारित कर दिया गया जो स्थापित विधिक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया जाना पाया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मारवाड जंक्शन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2022 को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत सुनवाई पश्चात नये से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।